119

## Universallsing Primary Education Programmes in the Country

- 1553. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DE-VELOPMENT be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that in Kerala and Tamil Nadu, most of the schools are situated within less than 2 kilometres while in other States, the Schools are at a distance of over 2 kilometres;
- (b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor;
- (c) whether Government have formulated any microplanning in these districts in view of the need for more schools and non-formal educational centres; and
- (d) if so, the details thereof; and what effective measures Government propose to achieve the target fixed under the universalisation of primary education programme in the country?

THE DEPUTY MINISTER THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVEL. OPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTTOF CULTURE) (KUMARI SELJA):
(a) and (b) According to Fifth All India Educational Survey conducted by NCERT with reference date as September 30, 1986, primary schooling facility is available in rural areas within 2 km. distance for more than 95% of the population in the country. Position of schooling facilities varies from state to state. The survey reports are available in the Parliament House Library.

School Education facilities are to be provided by state governments from their own resources. Central Government has extended financial support for improvement of educational facilities through the centrally sponsored schemes of Operation Blackboard. Non-Formal Education and Teacher Education. Achievements of these schemes upio 1993-94 are given in the Annual Administrative Reports of the Department of Education.

(c) and (d) in pursuance of the recommendations in the National Policy on Education (NPE)—1986, regarding adoption of an array of meticulously formulated strategies based on microplanning, many state governments have prepared district-specific plans for primary education.

## कापी राइट बांड

- 1554. भी ईश वस्त बावव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) कापी राइट बोर्ड के अध्यक्ष कब सेवा-निवृत्त हुए तथा उवत बोर्ड के अन्य सदस्य किस-किस तारीख को सेवानिवृत्त हुए ऑर उनके नाम क्या हैं;
- (ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी नियुक्ति रिवत पदों पर की गयी तथा उनकी नियुक्तियों की तिथियां क्या-क्या हैं।
- (ग) क्या ये पद अभी भी रिक्त हैं, यदि हां, तो कोई नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं और ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी;
- (घ) अभियोग पत्रों की संख्या कितनी हैं जिन्हों वर्ष 1990-91 में कापी राइट अधिनियम, 1957 की धारा 19ए के अधीन कापी राइट बॉर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा एंसे मामलों की संख्या कितनी हैं जिन्हों निपटा दिया गया हैं एवं एंसे मामलों की संख्या कितनी हैं जो अभी तक लंबित पड़े हैं और कितने समय से अनिर्णित पड़े हैं, तत्संबंधी ब्यॉरा क्या हैं और विलंब के क्या कारण हैं, ऑर
- (ङ) हर वर्ष केन्द्रीय सरकार कापी राइट्स आफिस और बोर्ड पर कुल कितना व्यय करती हैं, 25 नवंबर, 1992 को भोपाल में आयोजित कापी राइट बोर्ड की बैठक पर कुल कितना व्यय किया गया और एसे मामलों की संख्या कितनी हैं जिन्हों उकत बैठक में निर्णय करके निपटाया गया?

सानव संसाधन विकास संत्रालय (रिसक्षा विभाग ऑर संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शॅलजा): (क) 31 मार्च, 1994 को कॉपीराइट बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष ऑर अन्य सवस्यों का कार्यकाल भी उसी तारीख से समाप्त हो गया हैं। 26 अप्रॅल, 1990 के राजपत्र अधिस्वना की सं. एस. औ. 371(ई.) के माध्यम सं कॉपीराइट बोर्ड का गठन निम्न प्रकार सं किया गया था:

121

1. श्री पी. बी. बेंकटस्वृह्मणियम, भूतपूर्व विधि सचिव. भारत सरकार

-अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव, कॉपीराइट प्रभारी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग

पद्नेन सदस्य

3. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार. विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) भारत सरकार

-पर्दन सदस्य

4. विधि सचिव, तमिलनाड, सरकार

पद्रेन सदस्य

5. विधि सचिव. विहार सरकार

-पदंन सदस्य

6. विधि सचिव, केरल सरकार

पद्गेन सदस्य

7. विधि सचिव विधि एवं संसदीय कार्य विभाग मंघालय सरकार

-पद्मेन सदस्य

8. सचिव विधि विभाग गुजरात सरकार

9. विधि सचिव जम्मू एवं कश्मीर सरकार

-पर्दन सदस्य

(ख) ऑर (ग) कॉपीराइट बोर्ड का अभी पुनर्गठन किया जाना हैं। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 के द्वारा कॉपीराइट अधि-नियम, 1957 के संशोधन के परिणामस्वरूप कॉपीराइट नियमावली तेंयार की जा रही हैं ऑर इसके शीच बाद कॉपीराइट बोर्ड का प्नर्गठन किया जाएगा।

(घ) वर्ष 1990-91 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19 क के अन्तर्गत कॉपीराइट बोर्ड के पास दो याचिकाएं दायर की गई थी ऑर दांनां याचिकाओं पर निर्णय दे दिया गवा-एक सितम्बर, 1990 में ऑर दूसरा अवस्वर, 1991 में ।

धारा 19 क के अन्तर्गत कुल 11 याचिकाएं लिम्बल हैं जिन पर बोर्ड को निर्णय देना हैं। इन याचिकाओं के व्यारे तथा इनके लीम्बत होने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे वृश्विए)।

(ङ) कॉपीसइट कार्यालय के लिए कोई पृथक बजट नहीं हैं क्यों कि यह कार्यालय शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं और कॉपीसइट कार्यालय के सम्पूर्ण कर्मचारियां को इस विभाग के कर्मचारियों के साथ रखा गया है जहां तक कॉपीराइट बोर्ड का संबंध है अध्यक्ष के लिए मानदंच एवं कार्यालय व्यय के लिए अध्यक्ष के टी. ए/डी. ए. के लिए बोर्ड की बँठकां में शामिल होने के लिए सवस्यां को दिए जाने वाले मानदेय के लिए तथा आकस्मिक व्यय के लिए वर्ष 1993-94 के द्रांसन कुल 82,663 रु. की राशि खर्च की गई।

25 ऑर 26 नवस्वर, 1992 को भोपाल में आयोजित बोर्ड की बठक पर कुल 10,194 रु. खर्च किए गए। बोर्ड के पास रखी गई 25 याचिकाओं में से 16 याचिकाओं पर निर्णय दे -पद्नेन सदस्य दिया गया।